राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/अति.–सहा.वि. अधिकारी/सेवा.निवृत्ति/2021/979 जयपुर,दिनांक: 9-3-2021

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक अति./सहायक विकास अधिकारी के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता है:–

क्र. स.	नाम कार्मिक सर्व श्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापित स्थान	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने की दिनांक
1.	मोहन लाल कुमावत	अति. विकास अधिकारी	पं.स. राजसमन्द (राजसमन्द)	30.04.2021
2.	भीयाँ राम	अति. विकास अधिकारी	पं.स. जायल (नागौर)	30.06.2021
3.	न्यामदार खां	सहा. विकास अधिकारी	पं.स. परबतसर (नागौर)	31.12.2021
4.	शिवदेव	सहा. विकास अधिकारी	पं.स. जायल (नागौर)	31.08.2021
5.	रामजी लाल काछी	सहा. विकास अधिकारी	पं.स. टोंक (टोंक)	31.07.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या–5 पर अंकित श्री रामजी लाल काछी के विरूद्व जिला परिषद टोंक से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 142/2020 में वेतन संबंधी प्रकरण विचाराधीन/लंबित है।

शेष (क्रम संख्या–1 से 4 पर अंकित कार्मिकों) के विरूद्व आज तक:–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

Sd/-

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (ा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रो के आधार पर किये गये है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–संबंधित।
5. आदेश में वर्णित संबंधित अति./सहायक विकास अधिकारी।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (ा)